

संचालनालय संस्कृति एवं पुरातत्व रायपुर-छत्तीसगढ़

दूरभाष : 0771-2537404, टेलीफैक्स 0771-2234731

ई-मेल : deptt_culture@yahoo.co.in वेब साइट : www.cgculture.in

क्रमांक 226/मुक्तां./स.पु./ 2021

रायपुर, दिनांक 07/01/2022

निविदा की शर्तें मैनुअल पद्धति निविदा सूचना

—:—

निम्नलिखित कार्य के लिये छ.ग. लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित निविदा प्रपत्र 'ब' पर मुहरबंद निविदा आयटम दर पर छ.ग. लोक निर्माण विभाग में उपयुक्त श्रेणी के पंजीकृत ठेकेदारों से लिफाफा पद्धति के अनुरूप मुहरबंद निविदायें पंजीकृत डाक (ए.डी.) तथा स्पीड पोस्ट सर्विस द्वारा अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में निविदा आमंत्रित की जाती है।

मुहरबंद निविदायें समिति के सदस्य एवं उपस्थित निविदाकर्ताओं/अधिकृत प्रतिनिधि के समक्ष खोली जावेगी। निविदा प्रपत्र प्राप्त करने के लिये आवेदन पत्र के साथ ठेकेदारी पंजीयन, आयकर विभाग द्वारा जारी पेन कार्ड, वाणिज्यकर कार्यालय का पंजीयन एवं चुकता प्रमाण पत्र, बैंक साल्वेंसी, इंजीनियर नियोजन पूर्व में किये गये कार्यों का अनुभव प्रमाण पत्र की छायाप्रतियां अनिवार्यतः प्रस्तुत करें एवं मूल प्रमाण पत्रों से मिलान करावें अन्यथा निविदा प्रपत्र जारी नहीं की जावेगी। निविदा प्रपत्र कार्यालय से कार्यालयीन समय में निर्धारित शुल्क जो वापस योग्य नहीं है, नगद भुगतान पर प्राप्त किए जा सकते हैं। विस्तृत निविदा सूचना कार्यालयीन समय में किसी भी कार्य दिवस में देखी जा सकती है। आवश्यकता होने पर कार्य तथा निविदा सूचना के संबंध में आकस्मिक संशोधन इस कार्यालय के सूचना पटल पर लगाई जावेगी। निर्धारित तिथि को अवकाश घोषित होने पर आगामी कार्य दिवस में निविदा प्रस्तुत एवं खोली जावेगी।

01. निविदा प्रपत्र विक्रय की अंतिम तिथि 27.01.2022 शाम 5:00 बजे तक।

02. मुहर बंद निविदा प्रपत्र जमा करने की अंतिम तिथि 03.02.2022.शाम 5:00 बजे तक।


03. निविदा खोलने की तिथि एवं समय दिनांक 04.02.2022 दोपहर 12.00 बजे।

क्र.	कार्य का नाम	ठेके की अनुमानिक राशि	बयाने की राशि	ठेकेदार की श्रेणी	कार्यावधि	निविदा प्रपत्र की राशि
1.	पुरखौती मुक्तांगन संग्रहालय नवा रायपुर में लौह शिल्प कार्यशाला हेतु सामग्री प्रदाय कार्य।	5,03,000/-	10,000/-	उपयुक्त श्रेणी	कार्यादेश से 10 दिवस	500.00

निविदा की शर्तें :-

- अमानत की राशि एफ.डी.आर. जो कि संचालक, संस्कृति एवं पुरातत्व, महंत घासीदास स्मारक संग्रहालय परिसर सिविल लाईन रायपुर छ.ग. के नाम से देय हो तथा कम से कम 180 दिन की अवधि का हो जिसे निविदा के साथ अलग लिफाफे में प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। अमानत राशि के अभाव में निविदा बिना खोले वापस कर दी जायेगी।
- किसी भी निविदा को पूर्ण अथवा आंशिक रूप से स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता अधिकारी के पास सुरक्षित रहेगा एवं त्रुटियुक्त, ओवर रायटिंग, अपूर्ण हस्ताक्षरित तथा सशर्त निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।
- मुहरबंद निविदाओं के प्रत्येक लिफाफे पर कार्य का नाम तथा निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि अंकित किया जाना आवश्यक है।
- ऐसे ठेकेदार जो एकीकृत पंजीयन प्रणाली के अंतर्गत उपयुक्त श्रेणी में लोक निर्माण विभाग में पंजीकृत है, उन्हें ही मान्य किया जावेगा।
- निविदा दो अलग-अलग लिफाफा पद्धति में प्रस्तुत किया जावेगा। प्रथम लिफाफा में अमानत राशि प्राप्त नहीं होने की दशा में वित्तीय प्रस्ताव नहीं खोला जावेगा।
- प्रस्तुत निविदा असंतुलित होने पर निविदा राशि का पांच प्रतिशत अतिरिक्त अमानत राशि एफ.डी.आर. के रूप में अनुबंध के पूर्व जमा करना होगा।
- विशेष शर्त की कड़िका रु. 50.00 के गैर न्यायिक स्टाम्प हस्ताक्षरित हार्ड कॉपी को वित्तीय प्रस्ताव खोलने हेतु निर्धारित तिथि के पूर्व अमानत राशि के लिफाफे में रखकर प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है।

8. सामग्री प्रदाय पूर्ण होने के पश्चात 12 माह तक कार्य का समापन देकेदार को करना होगा, जिसके लिए कोई भी नति प्रदान में देव नहीं होगा।
9. प्रशासनिक गारंटी के साथ में प्रत्येक देवक में 5 प्रतिशत प्रतिशत सुरक्षा भिन्नि कराती जायेगी जिसे कार्य पूर्ण होने पर 12 माह की हैक गारंटी देकेदार को दे अनुकूल को पूर्ण अनुकूल तकि की 5 प्रतिशत प्रतिशत हैक गारंटी जमा कर कराना है। एकी भिन्नि में प्रत्येक देवक में प्रतिशत 5 प्रतिशत की तकि की करती नहीं की जायेगी।
10. प्रदाय की गई सामग्री मानक कोटि की होनी चाहिए तथा उसे प्रतिशत रूप प्रतिशत में कार्य उपकरण में जाने में पूर्ण अनुकूल कराना आवश्यक होगा।
11. सामग्री की जोड विभागीय अधिकारी / उपप्रभियंता द्वारा की जायेगी।
12. कार्य के दौरान मजद / स्वारक और सुरक्षाकोष को कोई भी नति नहीं पहुँचनी चाहिए, तकि अनुकूल पर सामग्री जिम्मेदारी संबंधित देकेदार को होनी।
13. सामग्री के साथ प्रशासनिक के बाद ही बुगतान की कार्यवाही की जायेगी।
14. भिन्नि आमंत्रण सूचना एवं भिन्नि प्रथम में उपस्थित सभी कार्य मान्य होगी।
15. इस भिन्नि में ही गई कार्य में संबंधित कोर्ड की जानकारी केवल मार्गदर्शन के लिए है। भिन्निदाकार को मनाय की जाये है कि वह अपने जमान पर कार्य स्वयं और उसकी जोड करे और अपनी स्वयं की जिम्मेदारी पर, कोर्ड की जानकारी प्राप्त करे जो भिन्नि तैयार करने और विभाग के साथ एक अनुकूल करने के लिए आवश्यक हो।
16. अमानत तकि के साथ मजबूतता तकि शाख पर प्राप्त नहीं होने पर देकेदार द्वारा प्रस्तुत विभागात्मक भिन्नि प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जायेगा।
17. उपरोक्त सामान्य कार्य भिन्नि अनुकूल का भाग है। किश शाखा द्वारा निर्धारित दिनांक तक प्रथम अर्चना प्राप्त करे को मने जाने पर जारी करने हेतु।
18. विवाद उत्पन्न होने पर संसाधक, संस्कृति एवं पुगतत्व रागदुर का निर्णय दोनों पक्षों को मान्य होगा।
19. यदि सामग्री प्रदाय में दोनों पक्षों में मतभेद नहीं होता और पर कार्यदेश की सीमाओं में सम्मिलित नहीं है, तो एकी प्रतिशत में प्रकरण का निपटारा लोक निर्माण विभाग / पुगतत्व विभाग के निर्णय / मार्गदर्शन भिन्नों के अनुसार किया जायेगा।
20. भिन्नि कर्ता द्वारा प्रस्तुत भिन्नि जमा करने की निर्धारित तिथि से 120 दिनों की अवधि के लिए सीकुरि केव रखनी।


 संसाधक,
 संस्कृति एवं पुगतत्व

: सांस्कृतिक विरासत एवं प्राचीन अवशेष राष्ट्र का गौरव है, जिसकी सुरक्षा करना हम सब का नैतिक दायित्व है। :